रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 1987/चैत्र 11, 1909
No. 154] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 1987/CHAITRA 11, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

सं 157/87-सीमा शुल्क बोर्ड

का. आ. 279 (अ) :—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तमिलनाडु

राज्य में पुडुकोट्टाई जिले में वेडुगापट्टी ग्राम को, शतप्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रमों की स्थापना के प्रयोजनों के लिए, भाण्डागार केन्द्र घोषित करता है ।

[फा. सं. 474/43/86–सीमा शुल्क–7]

एम. माइकल, अवर सचिव

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS

New Delhi, the 1st April, 1987

NOTIFICATION

NO. 157|87-CUSTOMS

S.O. 279(E).—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby declares Village Vedugapatty in Pudukottai District in the State of Tamil Nadu to be a warehousing station for the purpose of setting up hundred per cent export-oriented undertakings.

[F. No. 474|43|86-Cus. VII]

M. MICHAEL, Under Secy,

Central Board of Excise and Customs

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987